जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Jammu

राया-सूचानी (बागला) जिला -**सांबा** – 181143, **जम्मू** (जम्मू एवं कश्मीर)
Rahya-Suchani (Bagla) District. **Samba-** 181143, **Jammu** (J&K)
Ph. 01923 - 249657 **& Website: www.cujammu.ac.in**

रोजगार अधिसूचना संख्या 24
(अध्यापनेतर पदों हेतु)

निर्धारित योग्यता एवं आयु वाले योग्य उम्मीदवारों से प्रत्येक पद के समक्ष इंगित योग्यता जो कि विश्वविद्यालय संवर्ग भर्ती नियम एवं भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार पठित ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

केवल ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन रु 1000 के अप्रतिदेय शुल्क भुगतान पर (अनु जा, अनु. जन, अन्य रूप से सक्षम एवं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के नियमित उम्मीदवारों को छोड़कर) पर स्वीकार किये जाएगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार योग्यता एवं अन्य शर्तों के संबंध में स्वयं को पूर्ण रूप से पृष्ठि कर लें । ऑनलाइन आवेदन करने का पोर्टल/लिंक **20.06.2019** से **19.07.2019** तक **www.cujammu.ac.in** पर खुला रहेगा।

वह उम्मीदवार जिन्होंने रोजगार अधिसूचना संख्या 22 दिनांकित 09.01.2019 के अंतर्गत परीक्षा नियंत्रक के पद लिए आवेदन किया था को भी बाद में प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। किंतु उन्हें भी ऑनलाइन माध्यम से आवदेन प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, अधिसूचना संख्या 22 में आयोग्य पाए गये उम्मीदवारों को पुन: आवेदन करना होगा और वांछित शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

अन्य जानकारी के लिए : योग्यता, पदों की संख्या, श्रेणीअनुसार आरक्षण (अनु.ज/ अनु.जन/ अन्य पीछड़ा वर्ग/ अन्य रूप से सक्षम एवं अन्य शर्तों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.cujammu.ac.in** पर जाएँ।

विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वह पदों की सख्या को बढ़ाने/घटाने तथा किसी पद पर नियुक्ति न करने के अधिकार को सुरक्षित रखता है।

हस्ता/-
कुलसचिव

संख्या. CUJ/AA/HRW-Rectt/250/00055
दिनांक: - 18.06.2019

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Jammu
राया-सूचानी (बागला) जिला -**सांबा** – 181143, **जम्मू** (जम्मू एवं कश्मीर)
Rahya-Suchani (Bagla) District. **Samba-** 181143, **Jammu** (J&K)
Ph. 01923 - 249657 **& Website: www.cujammu.ac.in**

रोजगार अधिसूचना संख्या 24
(अध्यापनेतर पदों हेतु)

विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.cujammu.ac.in** पर उपलब्ध संवर्ग भर्ती नियमों के अनुसार प्रत्येक पद के लिए इंगित योग्यतानुसार योग्य उम्मीदवारों से विभिन्न अध्यापनेतर पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। ।

पदों संबंधी विवरण* निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	**परीक्षा नियंत्रक** (5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु के लिए कार्यकाल पद जो भी पहले हो)	रु.144200 – 218200, स्तर–14	01 (यूआर)
2.	पुस्तकालय परिचर	रु 18000 – 56900, स्तर – 1	01-अन्य रूप से सक्षम (वीएच)

टिप्पणी : यूआर अनारक्षति, एस सी - अनु जा, एस टी - अनु. जन जा, ओबीसी- अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य रूप से सक्षम

वह उम्मीदवार जिन्होंने रोजगार अधिसूचना संख्या 22 दिनांकित 09.01.2019 के अंतर्गत परीक्षा नियंत्रक के पद लिए आवेदन किया था पर बाद में प्राप्त आवेदनों के साथ विचार किया जाएगा। **किंतु उन्हें भी ऑनलाइन माध्यम से आवदेन प्रस्तुत करना होगा** । ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी । अधिसूचना संख्या 22 में आयोग्य पाए गये उम्मीदवारों को पुन: आवेदन करना होगा और वांछित शुल्क का भुगतान भी करना होगा ।

*विश्वविद्यालय पदों की संख्या को बढ़ाने / घटाने तथा किसी पद पर नियुक्ति न करने के अधिकार को सुरक्षित रखता है ।

1. **परीक्षा नियंत्रक (रु.144200 – 218200, स्तर–14 7वें वेतनाम के अनुसार)**
   (अवधि पद**: 5** वर्ष)
   आयु**: 57** वर्षों से कम

आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव

i. न्यूनतम 55 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा इसके समकक्ष यूजीसी सात अंक मान में 'ख' ग्रेड के समकक्ष।

ii. रु 7000/- के एजीपी (छट्टे वेतमान) में सहायक प्रोफेसर रूप में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव अथवा शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव के साथ एसोसिएट प्रोफेसर रूप सहित रु. 8000/- के एजीपी (छट्टे वेतमान) में 8 वर्षों की सेवा।

अथवा

शोध संस्थान और/अथवा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान में तुलनीय अनुभव।

अथवा

15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से 8 वर्ष उप कुलसचिव अथवा समकक्ष पद होगा।

वांछनीय : विश्वविद्ययालय राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थानों की परीक्षाओं अथवा अन्य तुलनात्मक परीक्षाओं को आयोजित करने का प्रासंगिक अनुभव।

2. **पुस्तकालय परिचर** (रु. 18000-56900, स्तर – 1 7वें वेतनाम के अनुसार)
   आयु : 30 वर्षों से कम
   आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव :

i. 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से

ii. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र (तीन माह से कम नहीं) अथवा विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकालय परिचर के रुप में एक वर्ष का अनुभव।

सामान्य नियम एवं शर्तें

1) **शैक्षणिक योग्यताएँ:**

क. शैक्षणिक योग्यताएँ होने से कोई भी उम्मीदवार लिखित परीक्षा / साक्षात्कार (जहां भी लागू हो) के लिए बुलाए जाने का पात्र नहीं हो जाएगा। सभी उम्मीदवारों की सभी प्रकार से योग्यता निर्धारण की अंतिम तिथि विज्ञापन में निर्धारित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाने की अंतिम तीथि ही होगी। अन्य शब्दों में, किसी भी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (जहाँ लागू हो) के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा यदि उसके पास किसी विशेष पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को न्यूनतम योग्यता और अनुभव आदि नहीं है।

ख. विश्वविद्यालय उन सभी उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर सकता है जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया है। आवेदन की जांच केवल कौशल परीक्षण में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की जाएगी। जांच समिति द्वारा पाई गई किसी भी विसंगति के मामले में उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। अयोग्य उम्मीदवारों को जांच समिति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व रखने का केवल एक मौका प्रदान किया जाएगा। इसलिए, सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अधिसूचना में निर्धारित मानदंड के अनुसार पद के लिए उनकी पात्रता अच्छी प्रकार से सुनिश्चित करें।

2. उम्मीदवार जो पहले से ही सेवा में है, उसे उचित माध्यम से अपना आवेदन जमा करना चाहिए। हालांकि, वह अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेज सकता है एवं साक्षात्कार अथवा कार्यभार ग्रहण के समय नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न कर पाने पर (समूह क के लिए) साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं

प्रदान की जाएगी अथवा विश्वविद्यालय में नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी (समूह ग के लिए)। उचित माध्यम से वांछित अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित सीआर डोजियर के साथ नियोक्ता द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन अग्रेषित किया जा सकता है। सभी आवेदकों के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य है।

3. यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी है, कि वह जिस पद के लिए आवदेन कर रहा है उस पद से संबंधित निर्धारित योग्यता, अनुभव आदि का आकलन स्वयं करे एवं विज्ञापन के अनुसार वांछित जानकारी, दस्तावेज और अन्य सहायक सामग्री के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन विधिवत भरे । तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना, नकली दस्तावेजों की आपूर्ति, गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करना अथवा उम्मीदवार द्वारा किसी अन्य अवांछनीय कार्रवाई से उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। यदि किसी मामले में, भविष्य में किसी भी समय नियुक्ति के बाद भी यह पाया जाता है कि, उम्मीदवार निर्धारित योग्यता, अनुभव आदि के अनुसार योग्य नहीं था, जिसका लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा/ के दौरान (जहां भी ला गू हो) साक्षात्कार / किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण पता नहीं लगाया जा सका हो, उनकी नियुक्ति इस धारा एवं उनके द्वारा ऑनलाइन बचनबंध के अधार पर रद्द किये जाने के अधीन होगी । उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उनकी पात्रता की पुष्टि करने की सलाह दी जाती है।

4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों/ दावों आदि की स्वीकृति सक्षम अधिकारियों/स्त्रोतों द्वारा उपके सत्यापन के अधीन होगी। यदि, नियुक्ति से पहले या बाद में किसी भी दावे/प्रमाण पत्र/ दस्तावेज को सत्यापन के किसी भी स्तर पर गलत/नकली/जाली पाया जाता है, तो प्रश्नात्मक दस्तावेज को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस कदाचार के लिए उम्मीदवार के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जिसके आधार पर उम्मीदवारी की नियुक्ति रद्द हो सकती है, यदि पहले से नियुक्त किया गया हो।

5. यदि भर्ती प्रक्रिया या रोजगार के किसी भी चरण में, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने योग्यता के संबंध में नकली दस्तावेज/भ्रामक बयान/आवेदन में जानकारी अथवा दस्तावेजों के साथ अथवा जाति, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अथवा अधिवास आदि से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी को जानबूझ कर छुपाया है, उनकी योग्यता को रद्द किया जाएगा अथवा यदि पहले से नियुक्ति किया हो उनकी सेवा का समाप्त किया जाएगा जैसा भी मामला हो।

6. किसी भी पद के लिए व्यक्ति की नियुक्त अधिनियम/नियम/अध्यादेश/ विनियम/नियम सेवा शर्तों /भर्ती नियम, सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 और सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के अनुसार समय-समय पर संशोधित तथा विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के विनियम और समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई यूजीसी के दिशा-निर्देशों /भारत सरकार के नियमों द्वारा शाशित होंगे।

7. नए उम्मीदवार की नियुक्ति पुलिस सत्यापन के अधीन होगी। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक, नियुक्ति को अनंतिम माना जाएगा। यदि उसके आचरण, चरित्र, पूर्ववृत्त आदि के संबंध में पुलिस की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो अनंतिम नियुक्ति को बिना सूचना के वापस /रद्द /समाप्त कर दिया जाएगा।

8. चयनित उम्मीवार को सेवा में शामिल होने से पहले पद के लिए उम्मीदवारो को चिकित्सा परीक्षा /परीक्षण से गुजरना होगा। यदि किसी मामले में, वह अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्वास्थय नहीं पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा। पहले से सरकार या स्वायत्त निकायों के तहत कार्यरत आवेदक सेवा में शामिल होने के समय अपने कार्य स्थान से संबंधित जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल से सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

9. **कार्यभार का प्रकार -:** चयनित उम्मीदवारों को समय-समय पर संशोधित विश्वविद.यालय के नियमों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना होगा। विश्वविद्यालय किसी भी समय कार्याविधि समाप्त होने के बाद/ छुट्टियों के दौरान किसी भी समय स्थिति के अनुसार किसी भी कर्तव्य को प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है, जिसे कर्मचारी को इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए बिना असफल हुए प्रदर्शन करना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवार देश या बाहर देश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी है जहां विश्वविद्यालय के कार्यालय, परिसर या परियोजनाएं स्थित हैं या भविष्य में स्थित हो सकती हैं।

10. चयनित उम्मीदवार भारत सरकार के "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" (पहले जिसे 'नई पेंशन योजना' के रूप में जाना जाता है) द्वारा शासित किया जाएगा, यह 01.01.2004 के प्रभाव से लागू है।

11. जिन उम्मीदवारों को विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री प्रदान की गई है, उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए "समतुल्यता प्रमाण पत्र को संलग्न करना चाहिए। "

12. **आरक्षण और छूट:**

क. एमफिल और / या पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए रेजीडेंसी अवधि की गणना के रूप में उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित अवधि शिक्षण /अनुसंधान अनुभव की ओर नहीं जाएगा। उम्मीदवारों को केवल लागू पदों के मामले में आवेदन पत्र में निवास अवधि के संबंध में विवरण प्रदान करना होगा।

ख. यूजीसी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी या अन्य आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु और अनुभव आदि में छूट दी जा सकती है। इस आशय से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र कौशल परीक्षण के बाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहां तक, यूजीसी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत योग्यता में छूट अंकों के प्रतिशत सहित दी गई है, ऐसी छूट पर स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों को आधार पर उपयुक्त मामलों में विचार किया जाएगा।

ग. उपरोक्त के अलावा, आयु में छूट भी निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में दी जाएगी, जैसा कि प्रत्येक के समक्ष उल्लेख किया गया है- :

क्रम संख्या	**व्यक्तियों की श्रेणियां**	**आयु में छूट**
1	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्रीय विश्वविद्यालयों / यूजीसी द्वारा डीम विश्वविद्यालयों / अन्य केंद्रीय / राज्य स्वायत्त निकायों / संगठनों / संस्थानों के नियमित कर्मचारी ।	भारत सरकार के नियमों के अनुसार
2	भूतपूर्व सैनिक	

घ. (i) पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित पद के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इंगित करना चाहिए कि वह एससी / एसटी / ओबीसी या सामान्य श्रेणी से संबंधित है, जहां भी लागू हो।

ङ. (ii) 40% से कम प्रासंगिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

च. आरक्षित वर्ग के तहत आरक्षण पाने वाले उम्मीदवारों को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप

से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के उम्मीदवारों को केवल ओबीसी के रूप में माना जाएगा, जब वे निर्धारित संलग्न प्रारूप में आवश्यक नवीनतम जारी प्रमाण पत्र जमा करेंगे। इसके अलावा, वे आवेदन पत्र में दिए गए घोषणा पत्र को भी प्रस्तुत करेंगे।

छ. आरक्षित श्रेणी के तहत नियुक्ति अनंतिम होगी और उचित माध्यम से प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी। यदि सत्यापन से पता चलता है कि किसी विशेष श्रेणी के उम्मीदवार का दावा गलत है, तो उसकी सेवाओं को बिना किसी और कारण बताए और बिना किसी पूर्व शर्त के समाप्त कर दिया जाएगा, और झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आगे की कार्रवाई भारतीय दंड संहिता / रणवीर दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जा सकती है।

13. उम्मीदवार साक्षात्कार के समय (ग्रुप क के पदों के लिए) या स्किल टेस्ट या ज्वाइनिंग (ग्रुप सी पदों के लिए) के साथ सभी मूल प्रमाण पत्रों को स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के एक सेट के साथ लाएं। यदि उम्मीदवार दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो उसे साक्षात्कार में शामिल होने या सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो मामला हो, और इस संबंध में किसी भी अन्य प्रकार के संचार के बिना उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

14. **(i)** अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) सशर्त आवेदनों पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी रूप का 'पक्ष प्रचार' से उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(iv) आवेदकों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर आवेदन करना होगा। आवश्यक ऑनलाइन आवेदन शुल्क के बिना आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

15. किसी भी डाक/ इलेक्ट्रॉनिक देरी के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और समय से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना चाहिए। उम्मीदवार को संलग्नकों को सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है और पिन कोड, टेलीफोन नंबर, सेलफोन नंबर, ईमेल आईडी के साथ अपने पत्राचार और स्थायी पते के संबंध में अपनी पूरी जानकारी लिखनी होगी यदि हो, जिससे ऑनलाइन आदेवन के संदर्भ में संपर्क किया जा सके।

16. जिन उम्मीदवारों को विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री प्रदान की गई है, उन्हें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटिज, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए "समतुल्यता प्रमाण पत्र" को संलग्न करना चाहिए।

17. विश्वविद्यालय, जहां कहीं भी लागू हो, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या पर उचित सीमा रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

18. चयनित उम्मीदवारों को लिखित अनुबंध के तहत नियुक्त किया जाएगा।

19. समय-समय पर संशोधित सभी पदों के लिए आयु का निर्धारण भारत सरकार/ यूजीसी के मानदंडों के अनुसार होगा।

20. जो उम्मीदवार पहले से ही सेवा में है, उन्हें नियोक्ता या उनके प्राधिकृत अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित / विचारणीय नहीं। इसके अलावा, आवेदन के साथ या साक्षात्कार के समय सतर्कता रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

21. ग्रेडिंग सिस्टम का पालन करने पर 7 पॉइंट स्केल (ग्रेड O, A,B,C,D,E & F) में ग्रेड प्वाइंट बी को 55% के बराबर माना जाएगा।

22. सामान्य रूप से भर्ती नियमों में और विशेष रूप से किसी भी पद की योग्यता से संबंधित किसी भी अस्पष्टता के संबंध, विश्वविद्यालय प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

23. (i) किसी भी कारण से विज्ञापित पदों को भरने या न भरने के लिए विश्वविद्यालय का अधिकार सुरक्षित है। यदि किसी कारण से विशेष पद पर भर्ती के बाद कोई रिक्ति रहती है, तो चयन समिति के आयोजन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उस रिक्ति पद को पैनल से को भरा जा सकता है।

(ii) विश्वविद्यालय को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से विज्ञापन वापस लेने का अधिकार है।

(iii) विज्ञापित पदों की संख्या को अस्थायी माना जा सकता है। विश्वविद्यालय को चयन के समय पदों की संख्या बढ़ाने / घटाने और तदनुसार नियुक्ति करने का अधिकार होगा।

24. साक्षात्कार / लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को कोई टीए/ डीए नहीं दिया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट प्रस्तुत करने पर सबसे छोटे मार्ग द्वारा द्वितीय श्रेणी के रेलवे/ बस किराया तक सीमित यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी (आईआरसीटीसी टिकट या राज्य सड़क परिवहन निगम टिकट)।

25. **आवेदन पत्रों की अस्वीकृति:**
ऑनलाइन दस्तावेजों को सहायक दस्तावेजों के आधार पर नहीं भरा जाना, संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र / अंक पत्र / अनुभव प्रमाण पत्र / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की स्पष्ट रूप से स्वप्रमाणित प्रतियों की स्पष्ट रूप से सत्यापित प्रतियों और अपूर्ण ऑनलाइन आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन प्रपत्र **(i),** या **(ii)** किसी रूप में अधूरा या **(iii)** कोई भी नया प्रमाण / संलग्नक पर आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

26. एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, बशर्ते कि निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारियों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कौशल परीक्षण या साक्षात्कार (जहां भी लागू हो) के बाद प्रस्तुत किया जाए। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों एवं एससी/एसटी/व्यक्तियों के मामले को छोड़कर, बिना ऑनलाइन शुल्क भुगतान के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

27. अपने स्वयं के हित में उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.cujammu.ac.in) के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। उन्हें नियमित रूप से अद्यतन / शुद्धिपत्र के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट भी देखनी चाहिए। समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी करना विश्वविद्यालय की ओर से अनिवार्य नहीं है। लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा / साक्षात्कार (जहां भी लागू हो) के लिए प्रवेश पत्र, उम्मीदवार की लॉगिन आईडी/पंजीकृत ईमेल में विश्वविद्यालय द्वारा भेजा जाएगा।

28. आवेदन पत्र में दिए गए डाक पते का कोई भी परिवर्तन एक बार विश्वविद्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

29. विश्वविद्यालय के विरूद्ध अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी विवाद के मामले में कानूनी कार्यवाही स्थानीय न्यायालय जहां विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है, का क्षेत्राधिकार होगा।

30. एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

31. अधिसूचना के अंग्रेजी या हिंदी संस्करण में किसी भी संदेह के मामले में, अंग्रेजी संस्करण हिंदी संस्करण की अपेक्षा मान्य होगा।

32. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव नियुक्ति आदेश जारी करने की तारीख से 30 दिनों के लिए वैध रहेगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर नियुक्त उम्मीदवारों की उपस्थित / कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह के पदों को अगले उम्मीदवार को प्रचलित सूची के अनुसार प्रस्तावित किया जाएगा।

33. **चयन मापदंड :**विज्ञापित पदों पर भर्ती समय-समय पर संशोधित यूजीसी/विश्वविद्यालय/भारत सरकार के विनियमों के अनुसार की जाएगी।

समूह ग के पदों लिए चयन मानदंड

उम्मीदवारों का चयन 2-स्तरीय परीक्षा / परीक्षण और उम्मीदवारों के प्रवेश स्कोर अंकों के आधार पर किया जाएगा।

2-स्तरीय परीक्षा / परीक्षण

2-स्तरीय परीक्षा में निम्नलिखित दो परीक्षाएँ शामिल हैं:

1. लिखित परीक्षा
2. कौशल परीक्षा

उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यूआर उम्मीदवारों के लिए 40% अंक और प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के लिए 35% और दोनों परीक्षणों में यूआर उम्मीदवारों के लिए कुल 50% अंक और आरक्षित श्रेणी के लिए 45% अंक होंगे।

परीक्षा का मानक नियुक्ति के लिए मूल योग्यता के अनुसार होगा। परीक्षणों में गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

लिखित परीक्षा में अंकों का वितरण निम्नानुसार है:

1. लिखित परीक्षा – अधिकतर अंक 60

श्रेणी	प्रश्नों की संख्या	अंक आवंटन	परीक्षा का प्रकार	प्रदत समय
सामान्य जागरूकता / करंट अफेयर्स / सामान्य योग्यता	10	10	वस्तुनिष्ठ	1 घंटे का समग्र समय
सामान्य अंग्रेजी	10	10		
रीजनिंग / न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड / मेंटल एबिलिटी	05	05		
डोमेन की जानकारी	35	35		
कुल	**60**	**60**		

लिखित परीक्षा के आर्हक अंक:

यूआर उम्मीदवारों के लिए 24 अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 21 अंक हैं। योग्यता अंक के बराबर

या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी

2. कौशल / व्यवहारिक परीक्षा

यह परीक्षा प्रयोगात्मक और व्यावहारिक प्रकृति की होगी जो व्यावहारिक माध्यम या लिखित माध्यम या दोनों में हो सकती है; विशेषज्ञ समिति द्वारा संबंधित प्रयोगशाला / पुस्तकालय / क्षेत्र / कार्य केंद्र / कक्षा में विशेषज्ञ समिति द्वारा संचालित किया जाएगा।

कौशल / व्यवहारिक परीक्षा के लिए आर्हक अंक: यूआर उम्मीदवारों के लिए 10 अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 9 अंक हैं।

उम्मीदवारों का प्रवेश स्कोर - अधिकतम 15 अंक

अंतिम मेरिट सूची में विचार के लिए सकल अंकों में निम्न अंक योजना / ग्रेड के आधार पर उम्मीदवारों के प्रवेश अंकों के घटक होंगे :

1. **मूल योग्यता**

प्रतिशत या समकक्ष ग्रेड	**50 % तक**	**50% से 60% से कम**	**60% से 70% से कम**	**70% से 80% से कम**	**80% से 90% तक कम**	**90% से 100% रु**
अंक	1	2	3	4	5	6

2. **सरकार / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / निजी संस्थान / संगठन से मूल योग्यता अनुभव पोस्ट करें:**

अनुभव (अंक 06) Experience (maximum 06 marks)	
सरकार / अर्ध सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / केंद्रीय या राज्य स्वायत्त संस्थान	प्रत्येक पूर्ण एक वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक।
पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निजी संस्थानों / संगठनों का प्रति वर्ष न्यूनतम कारोबार 5 करोड़ (बैलेंस शीट विधिवत लेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षित)	हर दो साल के अनुभव के लिए 1 अंक

3. **अतिरिक्त योग्यता (डिग्री / डिप्लोमा) में प्राप्त किए गए अंक / ग्रेड सीधे नौकरी / पद के लिए संबंधित हैं (यूजीसी / विश्वविद्यालयों / बोर्डों / संबद्ध निकायों द्वारा जारी किए जाने वाले केवल एक उच्चतम डिग्री / डिप्लोमा के लिए)**

प्रतिशत या समकक्ष ग्रेड	**50% तक**	**50% से 60% से कम**	**60% या उससे ऊपर**
अंक	1	2	3

अंतिम चयन / मेरिट सूची

अंतिम मेरिट सूची निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी:

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रदत अंक	न्यूनतम योग्यता अंक
(क)	लिखित परीक्षा	60	यूआर उम्मीदवारों के लिए 24 अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 21 अंक हैं।
(ख)	कौशल परीक्षा	25	यूआर उम्मीदवारों के लिए 10 अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 9 अंक हैं।
(ग)	प्रवेश स्कोर / मार्क्स **	15	
	अंक	**100**	

* अंतिम मेरिट सूची के लिए विचारार्थ (ए) और (बी) के योग को मिलाकर यूआर उम्मीदवारों के लिए 42 अंक (लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के कुल अंकों का 50%) और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 38 अंक (लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के कुल अंकों का 45%)) की न्यूनतम होने चाहिए।

** प्रवेश अंक / अंक केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रदान किए जाएंगे जो प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं।

आवेदन कैसे करें

जो उम्मीदवार आवश्यक योग्यता रखते हैं, उन्हें उपर्युक्त अनुसूची के अनुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cujammu.ac.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक पद के लिए, उम्मीदवार को ऑनलाइन शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन पत्र भरने होंगे, जैसा कि लागू हो। उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के अनुसार इंगित पात्रता के अनुसार सभी कॉलम को सही ढंग से भरना चाहिए। सभी कॉलम अनिवार्य हैं, अपूर्ण आवेदन फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए आवेदक उत्तरदायी होगा । ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद, जैसा कि ऊपर शेड्यूल में दिया गया है, कोई आवेदन फॉर्म प्राप्त नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार की पात्रता आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम के अनुसार होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अर्थात योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि उम्मीदवार के पास तैयार होना चाहिए। केवल वह उम्मीदवारों को जो लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण दोनों में मानदंडों के अनुसार उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें सत्यापन के लिए हार्ड कॉपी (मूल दस्तावेजों के साथ) और पद के लिए उनकी पात्रता का निर्धारण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे योग्य उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए हार्ड कॉपी जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यदि ऐसी हार्ड प्रतियां मूल दस्तावेजों के अनुरूप नहीं हैं या कोई भी दस्तावेज भ्रामक, नकली, गलत या नकल आदि पाया जाता है, तो उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

हस्ता

कुलसचिव

संख्या. CUJ/AA/HRW-Rectt
दिनांक: -

नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के अनुरोध के साथ सूचना के लिए अग्रेषित कॉपी: -

1. सचिव, मानव संसाधन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. सचिव, यूजीसी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
3. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालयों का संगठन, AIU हाउस, 16, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली - 110002
4. संयुक्त सचिव (सीयू), यूजीसी, नई दिल्ली -110002
5. आयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार, सिविल सचिवालय, श्रीनगर
6. सभी भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिव